

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. 2012/H-1/2/2/ELR

New Delhi, dated/0.11.2014

The General Managers,  
All Indian Railways and  
Production Units  
The Director General, RDSO, Lucknow &  
The CAO(R),DMW, Patiala.


**Sub:Treatment to Contractor Labours & their family member engaged  
by Railway Administration.**

It has been decided by the Board that the contractors engaged by Railway administration and their staff are not entitled to free medical attendance and treatment facilities. They and their family members may be treated in Railway hospitals and health units as per city specific Non-NABH CGHS rates charged for non Railway Patients.

This issue with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

Advance Correction Slip (S.No. Health 2014 amending Sub-section (16) Para 617 (1) of IRMM,2000 is enclosed.

DA/One


  
(Dr. S. K. Sabharwal)  
Executive Director/H(G)  
Railway Board

No. 2012/H-1/2/2/ELR

New Delhi, dated/0.11.2014

Copy for information &amp; necessary action to:

1. The Chief Medical Directors/Officers, All Indian Railways, All Production Units.
2. The Chief Personnel Officers, All Indian Railways, All Production Units.
3. The FA&CAO, All Indian Railways, All Production Units.

  
(Dr. S. K. Sabharwal)  
Executive Director/H(G)  
Railway Board

No. 2012/H-1/2/2/ELR

New Delhi, dated/0.11.2014

Copy to:

1. The Director of Audit, All Indian Railways & Production Units.
2. The Dy. Comptroller & Auditor General of India(Railways),Room No. 222, Rail Bhawan, New Delhi

  
for Financial Commissioner/Railways

Copy forDDF(E)1&amp;F(E)Spl.,RailwayBoard

No. 2012/H-1/2/2/ELR

New Delhi, dated/0.11.2014

Copy to:

- The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Railway Board, New Delhi.  
The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Railway Board, New Delhi.

  
For Secretary, Railway Board

**Advance Correction Slip to Sub-para (16) of para 617 (1) of IRMM 2000**

Sub-section (16) Para 617(1) of IRMM,2000 may be substituted as under:-

Contractors engaged by Railway administration and their staff are not entitled to free medical attendance and treatment facilities. They and their family members may be treated in Railway hospitals and health units as per city specific Non-NABH CGHS rates charged for non Railway Patients.

**(Authority : Board's letter No.:2012/H-1/2/2/ELR dated/0.11.2014)**

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक .11.2014

सं. 2012/एच-1/2/2/ईएलआर.

महाप्रबंधक

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

महानिदेशक, अअमासं, लखनऊ और

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), डीआका, पटियाला.

विषय: रेलवे प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए ठेका श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों का उपचार .

बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि रेलवे प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए ठेकेदार और उनके कर्मचारी निःशुल्क चिकित्सीय उपचार एवं उपचार की सुविधाओं के पात्र नहीं हैं। वे एवं उनके परिवार के सदस्य गैर रेलवे रोगियों के लिए शहर विशिष्ट नॉन-एनएबीएच सीजीएचएस प्रभारित दरों पर रेलवे अस्पतालों तथा स्वास्थ्य इकाइयों में उपचार करा सकते हैं।

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

अग्रिम शुद्धि पर्ची (भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, 2000 की उप-धारा (16) पैरा 617(1) में संशोधन करते हुए क्र.सं. स्वास्थ्य 2014) संलग्न है।

संलग्न/एक



(डॉ.एस.के.सभरवाल)

कार्यपालक निदेशक/स्वास्थ्य(सा.)

रेलवे बोर्ड

सं. 2012/एच-1/2/2/ईएलआर..

नई दिल्ली, दिनांक 10 .11.2014

प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को प्रेषित:-


1. मुख्य चिकित्सा निदेशक/अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, सभी उत्पादन इकाइयां.
2. मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, सभी उत्पादन इकाइयां.
3. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, सभी उत्पादन इकाइयां.

सं. 2012/एच-1/2/2/ईएलआर..

नई दिल्ली, दिनांक 10 .11.2014

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. प्रमुख निदेशक लेखा-परीक्षा, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं.222, रेल भवन, नई दिल्ली.



कृते वित्त आयुक्त, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि: उप निदेशक वित्त(व्यय)1 एवं वित्त(व्य.)विशेष, रेलवे बोर्ड.

सं. 2012/एच-1/2/2/ईएलआर..

नई दिल्ली, दिनांक 10 .11.2014

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली.
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली.



कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

**भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली 2000 के पैरा 617(1) के उप-पैरा (16) के लिए अग्रिम शुद्धि पत्र**

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, 2000 की उप-धारा (16) पैरा 617(1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-  
रेलवे प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए ठेकेदार और उनके कर्मचारी निःशुल्क चिकित्सीय उपचार एवं उपचार की सुविधाओं के पात्र नहीं हैं। वे एवं उनके परिवार के सदस्य गैर रेलवे रोगियों के लिए शहर विशिष्ट नॉन-एनएबीएच सीजीएचएस प्रभारित दरों पर रेलवे अस्पतालों तथा स्वास्थ्य इकाइयों में उपचार करा सकते हैं।

**(प्राधिकार: बोर्ड का पत्रांक सं.- 2012/एच-1/2/ईएलआर दिनांक 10.11.2014.)**